फैक्स / ई–मेल
महत्ववपूर्ण / प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 5999/4–24एफ/2016 दिनांक :– 31 जुलाई, 2018

विषय– राजस्व निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती एवं पोषक संवर्ग लेखपाल, संग्रह अमीन तथा भूमि अध्याप्ति अमीन के पद पर पदोन्नति के द्वारा चयनित अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण दिलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण दिनांक 13 अगस्त 2018 से दिलाये जाने के संबंध में मा0 परिषद द्वारा निम्न आदेश प्रदान किये गये हैं:–

1– बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़ तथा सहारनपुर मण्डलों के जनपदों से पोषक संवर्ग लेखपाल, संग्रह अमीन तथा भूमि अध्याप्ति अमीन से प्रोन्नत तथा सीधी भर्ती के अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों (क्षेत्रीय एवं कार्यालय कार्य) का तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण " मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय स्वाहेड़ी खुर्द, बिजनौर " में दिनांक 13 अगस्त 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से आरम्भ किया जायेगा।

2– झांसी, चित्रकूटधाम, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, विन्ध्यांचल तथा आजमगढ़ मण्डलों के जनपदों से पोषक संवर्ग लेखपाल, संग्रह अमीन तथा भूमि अध्याप्ति अमीन से प्रोन्नत तथा सीधी भर्ती के अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों (क्षेत्रीय एवं कार्यालय कार्य) का तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण "मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय चरखारी महोबा" दिनांक 13 अगस्त 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से आरम्भ किया जायेगा।

3– लखनऊ, फैजाबाद, तथा कानपुर मण्डलों के जनपदों से पोषक संवर्ग लेखपाल, संग्रह अमीन तथा भूमि अध्याप्ति अमीन से प्रोन्नत तथा सीधी भर्ती के अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों (क्षेत्रीय एवं कार्यालय कार्य) का तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण "मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय चिनहट लखनऊ" में दिनांक 13 अगस्त 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से से आरम्भ किया जायेगा।

4– गोरखपुर, बस्ती तथा देवीपाटन मण्डलों के जनपदों से पोषक संवर्ग लेखपाल, संग्रह अमीन तथा भूमि अध्याप्ति अमीन से प्रोन्नत तथा सीधी भर्ती के अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों (क्षेत्रीय एवं कार्यालय कार्य) का तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण "मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर" में दिनांक 13 अगस्त 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से से आरम्भ किया जायेगा।

5– लेखपाल, संग्रह अमीन तथा भूमि अध्याप्ति अमीन संवर्ग से प्रोन्नत ऐसे राजस्व निरीक्षकों (क्षेत्रीय एवं कार्यालय कार्य) जिनकी सेवा अवधि 01 वर्ष से कम है अर्थात ऐसे राजस्व निरीक्षक जिनकी सेवानिवृत्ती की तिथि 31.07.2019 या इसके पूर्व की है, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त रखा जायेगा।

6– लेखपाल, संग्रह अमीन, भूमि अध्याप्ति अमीन संवर्ग से राजस्व निरीक्षक (क्षेत्रीय एवं कार्यालय कार्य) के पद पर प्रोन्नत एवं सीधी भर्ती से चयनित ऐसे राजस्व निरीक्षक जो अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें भी 03 माह का पूर्ण संस्थागत प्रशिक्षण उपरोक्त प्रशिक्षण विद्यालयों में दिलाया जायेगा।

7– प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसके लिये आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

8— लेखपाल संवर्ग से प्रोन्नत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो पूर्व में राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त रखा जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी ऐसे राजस्व निरीक्षकों की सूचना परिषद को उपलब्ध करायेंगे। परिषद स्तर से इनके परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

आपसे अनुरोध है कि मा0 परिषद के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में अपने जनपदों के सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों को प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित तिथि के एक दिन पूर्व अवमुक्त करते हुये उन्हें निर्देशित करें कि उक्त राजस्व निरीक्षक नियत समय व तिथि पर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण कराने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करें।

भवदीया,

(गरिमा स्वरूप)
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2— जिलाधिकारी बिजनौर, महोबा एवं लखनऊ, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही/तैयारी हेतु अपने जनपद के मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य, को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

3— प्रधानाचार्य, ''राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय नबाबगंज बिजनौर'', मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय चरखारी महोबा'', ''मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय चिनहट लखनऊ'' एवं '' मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, गोरखपुर मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय को इस आदेश के साथ प्रेषित कि परिषद के आदेशानुसार नियत तिथि से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करते हुये परिषद को अवगत करायें।

4— प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, राजस्व परिषद, अनुभाग—3, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5— प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर, राजस्व परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस पत्र की प्रति परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(गरिमा स्वरूप)
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव।